कठघरे में विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रतिष्ठा

डॉ. जैकब एम. पुलियेल

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के एक गलत निर्णय से उसकी पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवालिया निशान लग गए हैं। डब्ल्यूएचओ ने निमोनिया नामक बीमारी से बचाव के लिए बच्चों के जिस टीके को बढ़ावा दिया है, उससे निमोनिया के मामलों में कोई उल्लेखनीय गिरावट तो नहीं आई, बल्कि बच्चों में दमा के प्रकरण बढ़ गए। डब्ल्यूएचओ इस बात का दावा नहीं कर सकता कि टीके के खतरों के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि उसके स्वयं के बुलेटिन में इस सम्बंध में सनसनीखेज़ तथ्य प्रकाशित हुए हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि प्रति दो हज़ार शिशुओं को यह टीका लगाया जाए, तो उनमें से केवल सात मामलों में असाधारण निमोनिया से बचाव हो पाता है। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह भी है कि प्रत्येक पांच बच्चों में निमोनिया की रोकथाम के बदले दो बच्चों में दवाई के प्रत्यक्ष असर से दमा होने की संभावना बढ़ जाएगी।

निमोनिया ऐसी बीमारी है जिसका इलाज साधारण और सस्ती एंटी-बायोटिक दवाइयों से हो सकता है। इसके विपरीत दमा ज़िन्दगी भर चल सकता है और उसके इलाज़ के लिए इन्हेलर दवाइयों व स्टेराइड्स की ज़रूरत पड़ सकती है। कई बार अस्पताल में भर्ती करने की नौबत भी आ जाती है। इस प्रकार दमा के खतरे के मद्देनज़र देखें तो निमोनिया से बचाव के इस टीके का कुछ भी लाभ नहीं है। यही नहीं, यह टीका भारतीय बाज़ार में उपलब्ध अन्य सभी टीकों की तुलना में महंगा है। एक बच्चे के टीकाकरण के लिए इसकी तीन खुराक की ज़रूरत होती है जिनकी कीमत करीब 12 हज़ार रुपए है। इसके विपरीत निमोनिया के उपचार के लिए जिस सेप्ट्रान (डब्ल्यूएचओ प्रोटोकॉल में अनुशंसित) का इस्तेमाल किया जाता है, उसकी लागत प्रति बच्चा महज़ 10 रुपए आती है।

इस तरह यह टीका न केवल काफी महंगा है, बल्कि इसके फायदे कम, नुकसान ज़्यादा हैं। ये सभी तथ्य अध्ययनों में अच्छी तरह से दर्ज़ थे और इनके बारे में विशेषज्ञों को भी पता था। लेकिन डब्ल्यूएचओ ने बड़ी ही चतुराई से पांच साल तक इन तथ्यों को छिपाए रखा। अंततः अक्टूबर 2008 में डब्ल्यूएचओ के बुलेटिन में इन्हें सार्वजनिक किया गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस टीके को विश्वसनीय संस्थाओं (जैसे डब्ल्यूएचओ, भारत सरकार के बायोटेक्नोलॉजी विभाग) और कई डॉक्टरों ने अनुमोदित किया था। यह जवाबदेही और विश्वास का मामला है जो बहुत धीरे-धीरे विकसित होता है।

दुर्भाग्य से डब्ल्यूएचओ, भारत सरकार की एजेंसियों और दवाई उद्योग के बीच सांठगांठ बनी हुई है। ज़रूरत इन नापाक रिश्तों का भंडाफोड़ करके कुछ कदम उठाने की है ताकि भविष्य में ऐसे खतरों को टाला जा सके। कई शोध पत्रिकाओं (जैसे *ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन* और *कैनेडियन मेडिकल जर्नल*) में इस बारे में विस्तार से चर्चा की गई है कि दवा कंपनियां किस तरह से व्यावसायिक चिकित्सकीय परामर्श को प्रभावित करती हैं। इन चर्चाओं का तब तक कोई फायदा नहीं है, जब तक कि इस मुद्दे को आम समाचार माध्यमों में नहीं उठाया जाता और चली आ रही नापाक परम्पराओं को बदलने की मांग नहीं की जाती।

हमारे बच्चों को इतने खतरनाक टीके की अनुमति देने के पीछे एक वजह यह हो सकती है कि डब्ल्यूएचओ ने अपनी स्वतंत्रता दवा कंपनियों के हाथों गंवा दी है। *ब्रिटिश मेडिकल जर्नल* के 19 जनवरी 2008 के अंक में बताया गया है कि कैसे डब्ल्यूएचओ के विशेषज्ञ समूह की बैठकों को दवाई कंपनियां प्रायोजित करती आई हैं। इससे ये कंपनियां विशेषज्ञ समितियों के निर्णयों को प्रभावित करने की स्थिति में आ जाती हैं। ऐसे में सार्वजनिक स्वास्थ्य और दवा कंपनियों के परस्पर विपरीत हितों के बीच डब्ल्यूएचओ पर एक ईमानदार मध्यस्थ के तौर पर यकीन कैसे किया

जा सकता है?

तीसरी दुनिया के देशों में टीकों का प्रचार-प्रसार करने के अभियान '*ग्लोबल एलाएंस फॉर वैक्सिन्स एंड इम्यूनाइज़ेशन*' (गावी) के साथ डब्ल्यूएचओ भी जुड़ गया है। शर्मनाक बात यह है कि यह प्रचार-प्रसार टीकों की कीमत, उनकी ज़रूरत और सार्वजनिक स्वास्थ्य की आवश्यकताओं जैसे पहलुओं को नज़रअंदाज़ करके किया जा रहा है।

गावी ने दवा निर्माता कंपनियों के साथ 'एडवांस मार्केट कमिटमेंट' (एएमसी समझौता) किया है जिसके ज़रिए दानदाता टीकों की कीमत वसूली की गारंटी लेते हैं। वर्ष 2007 में गावी ने गरीब देशों में निमोनिया के टीकों को प्रस्तुत करने के वास्ते कोश उपलब्ध कराने के लिए अपने साझेदारों के साथ डेढ़ अरब डॉलर के एएमसी पॉयलट प्रोजेक्ट पर कार्य शुरू किया। यह कोश इस बात को सुनिश्चित करेगा कि दवा निर्माताओं को अच्छी गारंटी उपलब्ध हो सके। गरीब देशों को भारी-भरकम सब्सिडी के ज़रिए इन टीकों को अपने यहां लागू करने के लिए लालायित किया जा रहा है। उदाहरण के लिए 12 हज़ार रुपए के टीके को महज 50 रुपए में उपलब्ध करवाया जा रहा है। सब्सिडी और अन्य वित्तीय योजनाओं का नतीजा यह निकलता है कि देश उस टीके का मूल्यांकन उसकी वास्तविक कीमत के आधार पर नहीं कर पाते हैं।

लेकिन सभी प्रारंभिक ऑफरों की तरह यह ऑफर भी सीमित समय के लिए होता है। इस ऑफर के वापस होते ही देशों को उन टीकों की पूरी बाज़ार कीमत चुकाने को विवश किया जाता है। दवा निर्माताओं को उनके टीके के लिए प्रति खुराक चार हज़ार रुपए की गारंटी देकर गावी और डब्ल्यूएचओ निश्चित रूप से उस समय तो टीके की प्रभावोत्पादकता और साइड इफेक्ट्स जैसे मुद्दों की उपेक्षा कर देते हैं।

इस साल अप्रैल में भारत सरकार के विशेषज्ञों ने इस टीके को देश के टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल करने की इस आधार पर अनुशंसा कर दी कि यह 70 फीसदी बैक्टीरिया को नष्ट करता है। गौरतलब है कि डब्ल्यूएचओ के जिस बुलेटिन में इस टीके के असर पर सवाल उठाए गए हैं, वह उन देशों से सम्बंधित है जहां 80 फीसदी स्थानीय बैक्टीरिया नष्ट होने की बात कही गई है। दमा के खतरे की बात भी उस बुलेटिन में थी, लेकिन लगता है भारतीय विशेषज्ञों का ध्यान उस ओर गया ही नहीं। इसकी उपयोगिता की तुलना में कीमत काफी ज़्यादा है। इसके साथ जुड़े प्रलोभन अनिच्छुक डॉक्टरों को भी टीके के इस्तेमाल को प्रेरित करते हैं। हम देखते हैं कि एक ओर अत्यधिक प्रभावी डीपीटी का टीका है जो महज कुछ पैसों में उपलब्ध है, तो वहीं निमोनिया का टीका है जिसकी कीमत हज़ारों रुपए है और प्रभावशीलता में यह अत्यंत पीछे है। निमोनिया टीके की एक खुराक की कीमत चार हज़ार रुपए में से एक हज़ार रुपए उस डॉक्टर या डिस्पेंसरी को मिलते हैं जो यह टीका बेच रहा है। यह दवा कंपनियों की बाज़ार नीति है। इस तरह के इन्सेंटिव से सभी पक्षों की चांदी हो जाती है, केवल बच्चों और अभिभावकों को छोड़कर क्योंकि टीका लगवाने के बाद बच्चों में दमा की आशंका बढ़ जाएगी।

भारत सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में निमोनिया टीके जैसी महंगी गलती को वहन नहीं कर सकता। अभी तो हमारे देश की करीब आधी आबादी मूल टीकाकरण कार्यक्रम के दायरे से बाहर है और इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल अधिक से अधिक लोगों को इस दायरे में लाने के लिए किया जाए। नए टीकों, वह भी बेहद निष्प्रभावी टीकों पर पैसा खर्च करने से तो यही होगा कि गरीबों तक मूल टीकों की पहुंच और भी कम हो जाएगी। जो अभिभावक निमोनिया टीके को खरीदने में समर्थ नहीं हैं, उन्हें इस बात से राहत मिल सकती है कि उनके बच्चे कम से कम दमा से बच जाएंगे। हम केवल उम्मीद ही कर सकते हैं कि निमोनिया टीका विवाद के बाद हमारे नीति निर्धारक सार्वजनिक स्वास्थ्य की ऐसी ठोस नीति बनाएंगे जो सेवा में समानता सुनिश्चित कर सकेगी।

डब्ल्यूएचओ की आधिकारिक वेबसाइट पर लिखा है: 'वह दुनिया में स्वास्थ्य के मामलों में नेतृत्व प्रदान करता है, स्वास्थ्य सम्बंधी अनुसंधानों का एजेंडा तय करता है, मानक

एवं मानदंड तैयार करता है, तथ्य-आधारित नीतियां बनाता है, देशों को तकनीकी सहयोग प्रदान करता है और स्वास्थ्य के रुझानों का आकलन करता है।'

ऐसे में डब्ल्यूएचओ और भारत सरकार को स्वयं से पूछना चाहिए कि आखिर वे एक ऐसे टीके को बढ़ावा देने के लिए कैसे तैयार हो गए जिसके फायदे कम, नुकसान ज़्यादा हैं। इसके अलावा टीके से जुड़े खतरों से सम्बंधित तथ्यों को छिपाकर और उसके निर्णय की वजह जानने के इच्छुक सामाजिक संगठनों के सवालों को टालकर डब्ल्यूएचओ ने यही दिखाया है कि उसमें पारदर्शिता और जवाबदेही का कितना अभाव है। इससे इस संगठन की वैधता, उसके अधिकारों और निर्णयों पर गंभीर सवाल उठते हैं।

हाल ही में ऑल इंडिया ड्रग एक्शन नेटवर्क ने डब्ल्यूएचओ की महानिदेशक मारग्रेट चान को पत्र लिखकर पूछा कि वे ऐसे टीके को प्रोत्साहित क्यों कर रही हैं जिसके नुकसान बहुत ज़्यादा हैं। उन्होंने अपने सहायक के माध्यम से बताया कि वे ऐसी दुनिया का निर्माण करना चाहती हैं जिसमें एक भी व्यक्ति ऐसी बीमारी से न मरे, जिसकी रोकथाम टीकों की मदद से संभव है। इसलिए निमोनिया के चंद मामलों को रोकने के लिए एक करोड़ 20 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, जबकि लाखों लोग कुपोषण से मर जाते हैं।

उनके जवाब से पता चलता है कि डब्ल्यूएचओ की योजना सहस्राब्दी विकास लक्ष्य के लिए सदस्य देशों द्वारा दिए गए योगदान में से करोड़ों डॉलर एडवांस मार्केट कमिटमेंट्स के तहत दवा निर्माता कंपनियों को देने की है।

अपनी प्रतिष्ठा को बहाल करने और आम लोगों के स्वास्थ्य अधिकारों की रक्षा के लिए डब्ल्यूएचओ और भारत सरकार को सबसे पहले उन अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए जिन्होंने ऐसे विध्वंसक निर्णय लिए हैं। साथ ही ऐसे भी प्रयास करने चाहिए कि भविष्य में लोगों की सेहत के साथ समझौता नहीं करना पड़े। दोनों को उन बच्चों व परिवारों से माफी भी मांगनी चाहिए जो उनके कुप्रबंधन की वज़ह से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। ***(स्रोत फीचर्स)***

फॉर्म 4 (नियम - 8 देखिए)

मासिक स्रोत विज्ञान एवं टेक्नॉलॉजी फीचर्स पत्रिका के स्वामित्व और अन्य तथ्यों के सम्बंध में जानकारी

प्रकाशन	: भोपाल	सम्पादक का नाम	: सुशील जोशी
प्रकाशन की अवधि	: मासिक	राष्ट्रीयता	: भारतीय
प्रकाशक का नाम	: (सी.एन. सुब्रह्मण्यम) निदेशक, एकलव्य	पता	: एकलव्य, ई-7/एच आई जी 453, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462 016
राष्ट्रीयता	: भारतीय		
पता	: एकलव्य, ई-7/एच आई जी 453, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462 016	उन व्यक्तियों के नाम और पते जिनका इस पत्रिका पर स्वामित्व है	: (सी.एन. सुब्रह्मण्यम) निदेशक, एकलव्य
मुद्रक का नाम	: (सी.एन. सुब्रह्मण्यम) निदेशक, एकलव्य	राष्ट्रीयता	: भारतीय
राष्ट्रीयता	: भारतीय	पता	: एकलव्य, ई-7/एच आई जी 453, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462 016
पता	: एकलव्य एकलव्य, ई-7/एच आई जी 453, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462 016		

मैं सी.एन. सुब्रह्मण्यम, निदेशक, एकलव्य यह घोषणा करता हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं।

1 जुलाई 2009

सी.एन. सुब्रह्मण्यम,
निदेशक, एकलव्य